निविदा सं0 – 03/दिनांक 11.05.2022

निविदा खुलने की तिथि 24.05.2022

क्रमांक............ *फार्म क्रय मूल्य रू0 **590.00** (जी.एस.टी. सहित)*

उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फैडरेशन लि0, मंगल पड़ाव, हल्द्वानी (नैनीताल)

आउटसोर्स ऐजेन्सी हेतु

निविदा प्रपत्र

वेबसाइट www.ucdfaanchal.org

उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फैडरेशन लि0, मंगल पड़ाव, हल्द्वानी (नैनीताल)

अल्पकालिक पुर्ननिविदा सू0 सं0 3/आ. एजे. तथा पुस कार्ट/22–23 दि011 मई,22

उत्तराखण्ड के विभिन्न दुग्ध संघों में रिक्त तकनीकी पदों पर आवश्यकतानुसार आउटसोर्स के माध्यम सें योग्य कार्मिकों की भर्ती हेतु इस संस्था द्वारा पूर्व में निविदा सूचना सं0 27/आउटसोर्स एजेन्सी/दिनांक 29 अप्रैल, 2022 को निरस्त कर पुनः इच्छुक रजिस्टर्ड आउटसोर्स ऐजेन्सी जिन्हें डेरी क्षेत्र में उक्त कार्य करने का 02 वर्ष का अनुभव हो के चयन एवं आइसक्रीम ट्राइसाइकिल पुस कार्ट एवं ई–कार्ट क्रय हेतु टू–बिड सिस्टम के आधार पर सीलबन्द निविदा आमन्त्रित की जाती हैं। उक्त कार्यों हेतु इच्छुक फर्म अपनी तकनीकी एवं वित्तीय निविदा दिनांक 23.05.2022 के अपरान्ह 5.00 बजे तक रजिस्टर्ड डाक/कोरियर से इस कार्यालय के पते पर उपलब्ध कराऐं। प्राप्त निविदाओं को दिनांक 24.05. 2022 को कमेटी के समक्ष खोला जाएगा। विज्ञप्ति के सन्दर्भ में विस्तृत विवरण तथा निविदा प्रपत्र संस्था की वेबसाइट www.ucdfaanchal.org पर उपलब्ध है।

प्रबन्ध निदेशक

निविदा सं0 – 03/दिनांक 11.05.2022
क्रमांक...........

फार्म क्रय मूल्य रू0 590.00 (जी.एस.टी. सहित)

निविदा प्रपत्र

विभिन्न श्रेणी के तकनीकी कार्मिक हेतु–(तकनीकी बिड)

कार्यालय उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फैडरेशन लि0, मंगल पड़ाव, हल्द्वानी (नैनीताल)

पासपोर्ट साईज की प्रमाणित नवीनतम फोटो लगायें

1. निविदादाता का नाम :–...
2. निविदादाता का पता :–...

(अ) स्थाई पता :– ....

....

(ब) पत्राचार का पता :– ....

....

तकनीकी बिड में निम्न प्रपत्र संलग्न करने आवश्यक है :–

1. **कार्य अनुभव :–** प्रमाण पत्रों की छाया प्रति संलग्न करें।
2. श्रम विभाग उत्तरांखण्ड का पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें।
3. भविष्य निधि कार्यालय का पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें।
4. जी.एस.टी. पंजीकरण प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें।
5. पैन कार्ड की छाया प्रति।
6. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति।
7. विगत तीन वर्षो का आयकर रिटर्न की प्रति।
8. संतोषजनक कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र।
9. यदि फर्म सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) में पंजीकृत हो तो पंजीकरण की छाया प्रति संलग्न करें।
10. निविदा के समक्ष जमा अर्नेस्टमनी का विवरण– (मूल प्रति संलग्न करें)
    ड्राफ्ट संख्या/रसीद संख्या :–..................... धनराशि :– ....दिनांक ....

–: घोषणा :–

मैनें निविदा प्रपत्र की समस्त शर्तो को भली–भांति पढ़ लिया है। तद्उपरान्त ही निविदा प्रपत्र भरा गया है।

दिनांक :–
स्थान :–

हस्ताक्षर निविदादाता :–
नाम :–
पिता का नाम :–
पूरा पता :–

फर्म का नाम :–
मो0/फोन नं0 :–

विभिन्न श्रेणी के तकनीकी कार्मिक उपलब्ध कराने के लिए निविदा की शर्तें

(निविदा लिफाफे के ऊपर निविदादाता का नाम व पता तथा विभिन्न श्रेणी के तकनीकी कार्मिक उपलब्ध कराने हेतु उल्लेख करना अनिवार्य होगा)

1. यह कि निविदा टू–बिड सिस्टम के आधार पर सम्पन्न की जायेगी, निविदादाता को एक लिफाफें में तकनीकी विड रखी जानी है उसमें तकनीकी बिड लिखा जायें तथा दूसरे लिफाफें में वित्तीय बिड रखकर उस लिफाफें के ऊपर वित्तीय बिड लिखा जायें एवं दोनों लिफाफों को अलग–अलग बन्द कर एक बडे लिफाफें में पुनः बन्द कर निविदा देनी होगी। **तकनीकी बिड में समस्त शर्ते पूर्ण होने पर ही वित्तीय बिड खोली जायेगी।**
2. यह कि संदर्भित कार्य की अवधि एक वर्ष तक होगी। परन्तु दुग्ध संघ की आवश्यकता पडने पर इस अवधि को निदेशक/निबन्धक, दुग्ध सहकारी समितियां के अनुमोदनोपरान्त पुनः बढाया जा सकता है।
3. अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
4. यह कि जिस निविदादाता की दरें स्वीकृत की जायेगी, उस निविदादाता को **रू0 100.00** (एक सौ रूपया) के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा।
5. यह कि निविदादाता द्वारा **रू0 25,000.00 (पच्चीस हजार) रूपया** अर्नेस्टमनी के रूप में इस संस्था के कोषागार में जमा कर रसीद की छायाप्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी। अथवा संलग्न विवरणानुसार ऑनलाइन संस्था के खाते में जमा करना होगा, पुष्टि हेतु निविदा प्रपत्र में प्रमाण देना होगा।
6. यह कि सूक्षम, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) में रजिस्टर्ड फर्मों को उत्तराखण्ड शासन की क्रय वरीयता नीति 2019 –शासनादेश सं0 1542/vII-3-19/143-उद्योग;2/2003 दिनांक 20 अगस्त, 2019 की शर्तो के अनुरूप निविदा में छूट प्रदान की जाएगी। पंजीकृत फर्म/निविदादाता को तत्सम्बन्धी अभिलेख उपलब्ध कराना होगा।
7. यह कि जिस निविदादाता की दरें स्वीकृत किये जाने पर कार्य हेतु निर्धारित जमानत की धनराशि **रू0 1,00,000.00** (एक लाख रूपया) नकद/सावधि जमा, डेरी फैडरेशन के कोषागार में जमा करेगा। जमानत धनराशि की वापसी अनुबन्ध अवधि समाप्ति के एक वर्ष पश्चात की जायेगी।
8. राज्य के दुग्ध संघों की समय–समय पर संस्था की आवश्यकतानुसार/मांगानुसार विभिन्न श्रेणियों के तकनीकी कार्मिक दिन एवं रात्रि पाली में उपलब्ध कराने होंगे।
9. निविदा के साथ निविदादाता को राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया गया, अपना चरित्र प्रमाण–पत्र एवं एक पासपोर्ट साईज की प्रमाणित फोटो निविदा के साथ संलग्न करनी होगी।
10. निविदादाता द्वारा दुग्ध संघ को उपलब्ध कराये गये श्रमिको का प्रतिमाह बिल के समक्ष श्रमिक की मासिक उपस्थिति का बिल माह के दिनांक **2** से **4** के बीच सम्बन्धित अनुभागों से कार्यो का सत्यापन करवाकर प्रशासन अनुभाग को उपलब्ध कराया जायेगा एवं स्वीकृत मानदेय की दरें संस्था द्वारा स्वीकृत की गयी दरों के अनुसार अपने कार्मिकों को मासिक मानदेय का भुगतान कार्मिकों के बैंक खातो में किया जायेगा।
11. यह कि सरकार द्वारा निर्धारित आयकर की कटौती निविदादाता द्वारा प्रेषित बिल से करते हुए सेवायोजित दुग्ध संघों द्वारा जमा करायी जायेगी ।
12. निविदादाता को श्रम संविदा अधिनियमों के अन्तर्गत उत्तराखण्ड शासन के ***श्रम विभाग में पंजीकरण*** होना अनिवार्य है तथा वांछित लाईसेन्स जो वैध हो प्राप्त कर उसकी प्रमाणित प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी।
13. यह कि निविदादाता को अपना पंजीकरण ***कर्मचारी भविष्य निधि (ई.पी.एफ.)*** **कार्यालय उत्तराखण्ड** में पंजीकरण कराना अनिवार्य है तथा पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी।
14. यह कि सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिकों का दुर्घटना बीमा कराना होगा। इस पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति सेवा प्रदाता एवं कार्मिकों द्वारा परस्पर सहमति से की जायेगी।
15. यह कि निविदादाता को अपना ***पंजीकरण जी.एस.टी.में*** कराना अनिवार्य है तथा पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी।
16. सफल निविदादाता द्वारा माह में प्राप्त GST भुगतान GSTR-1 व GSTR-3B की प्रति उपलब्ध कराने पर ही अगले माह का भुगतान देय होगा।
17. यह कि दुग्ध संघ की मांगानुसार समस्त निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिकों को किये मासिक भुगतान, भविष्य निधि कार्यालय में जमा ई.पी.एफ. धनराशि आदि की रसीद/पंजिका तैयार करने का कार्य सफल निविदादाता का होगा तथा वांछित प्रपत्रों को प्रत्येक माह सम्बन्धित दुग्ध संघ को उपलब्ध कराया जायेगा। संस्था का इस सम्बंध में कोई विधिक दायित्व नहीं रहेगा।

18. यह कि निविदादाता ऐसे योग्य कार्मिकों को उपलब्ध करायेगा, जो शारारिक रूप से स्वस्थ हो तथा संस्था द्वारा सौपे जाने वाले कार्य के लिए सक्षम हों। **कार्मिकों का चयन/कार्यदक्षता का परीक्षण संस्था की गठित स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा किया जाएगा।**

19. यह कि कार्मिकों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत (श्रेणीवार) अथवा दुग्ध संघ द्वारा स्वीकृत वेतन/मजदूरी जो द्वितीय पक्ष द्वारा बिल में दर्शायी जायेगी, उस वेतन/मजदूरी का पूर्ण भुगतान निविदादाता द्वारा सम्बन्धित कार्मिकों को किया जाना होगा।

20. यह कि निविदादाता को श्रम अधिनियम के नियमों एवं प्राविधानों के अनुरूप समस्त वांछित अभिलेख निर्धारित प्रपत्रों एवं पंजिकाओं में तैयार करने होगें तथा आवश्यकता पड़ने पर इनका निरीक्षण भी कराना होगा।

21. यह कि निविदादाता द्वारा दुग्ध संघ के अधिकृत प्रतिनिधियों के निर्देशों का पालन किया जायेगा। निविदादाता द्वारा दुग्ध संघ को उपलब्ध कराये गये किसी कार्मिक द्वारा सम्बन्धित अधिकृत प्रभारी के निर्देशों का पालन न करने, चोरी करने, दुग्ध संघ की सम्पत्ति को क्षति पहुचाने अथवा संस्था के हितों के विरूद्ध कार्य करने, अथवा मादक पदार्थो का सेवन किये हुये पाये जाने की दशा में उस श्रमिक को निविदादाता द्वारा दुग्ध संघ की सूचना पर तत्काल कार्य से पृथक करना होगा। निविदादाता के किसी कार्मिक द्वारा संस्था की किसी प्रकार की क्षति करने पर निविदादाता द्वारा क्षति की दुगनी धनराशि सम्बन्धित दुग्ध संघ/यूसीडीएफ को क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान करनी होगी ।

22. यह कि निविदादाता द्वारा कान्ट्रेक्ट लेबर (रिगुलेशन एवं एविलियेशन) एक्ट **1970** के अन्तर्गत अपने श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन करना होगा, तथा उक्त अधिनियम की समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करने का उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा। औपचारिकता में किसी भी कमी के लिए दुग्ध संघ उत्तरदायी नहीं होगा। कार्य अवधि में किसी भी प्रकार की दुर्घटना की दशा में वर्कमैन कम्पनसेशन एक्ट के अन्तर्गत किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए निविदादाता पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा, दुग्ध संघ की इस सम्बन्ध में कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

23. यह कि दुग्ध संघ निविदादाता के द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिकों का भुगतान निविदादाता द्वारा प्रस्तुत किये गये बिलों के आधार पर करेगा। दुग्ध संघ का इस सम्बन्ध में किसी भी कार्मिक से कोई भी सम्बन्ध नहीं रहेगा। निविदादाता प्रत्येक माह दुग्ध संघ को यह प्रमाण–पत्र अवश्य देगा कि उसके किसी कार्मिक को कोई वेतन अथवा बकाया धन उस पर अदा करने को बकाया नहीं है। **निविदादाता द्वारा कार्य पर नियोजित कोई भी कार्मिक किसी भी दशा में दुग्ध संघ का कर्मचारी नहीं माना जायेगा।**

24. यह कि निविदादाता द्वारा उचित ढंग से कार्य न करने अथवा इस अनुबन्ध की शर्तो का पालन न करने पर दुग्ध संघ को अनुबन्ध को समाप्त करने का अधिकार होगा, ऐसी परिस्थितियों में निविदादाता दुग्ध संघ को होने वाले किसी भी क्षतियों/क्षतिपूर्तियों के करने के लिए उत्तरदायी होगा और दुग्ध संघ को उक्त धनराशि को निविदादाता द्वारा जमा जमानत की धनराशि व उसके देयकों से काटने का पूर्ण अधिकार होगा।

25. यह कि दुग्ध संघ द्वारा श्रमिकों का पी0एफ0 मध्ये नियोक्ता अंशदान का भुगतान निविदादाता को किया जायेगा जिसे जमा कराने का दायित्व निविदादाता का होगा, इससे सम्बन्धित अभिलेख भी निविदादाता द्वारा तैयार किये जायेगें। पी0एफ0 जमा कराने पर होने वाले प्रशासनिक व्यय बीमा, पेन्शन के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के अन्य व्यय का भुगतान दुग्ध संघ द्वारा निविदादाता को नही किया जायेगा। निविदादाता को यह शपथ पत्र देना होगा कि नियोक्त मद में देय में देय अषंदान किसी अन्य माध्यमों से प्राप्त नही किया जायेगा।

26. यह कि निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिकों को ई.एस.आई.सी. से कबर कराना होगा। ई.एस.आई.सी. मद में देय नियोक्ता का अंशदान संस्था द्वारा भुगतान किया जायेगा। इससे सम्बन्धित समस्त अभिलेख निविदादाता द्वारा तैयार किये जायेगें तथा जमा कराने का कार्य भी निविदादाता द्वारा किया जायेगा, जिसके लिये पृथक से कोई धनराषि देय नही होगी।

27. यह कि यदि सेवा प्रदाता का कार्मिक चोरी करते हुये पकड़ा जाता है या संस्था को किसी प्रकार से हानि पहुंचाता है तो उस पर जुर्माना (पैनाल्टी) लगाने का अधिकारी दुग्ध संघ के पास होगा। जुर्माना (पैनाल्टी) की वसूली सेवा प्रदाता के बिल से की जायेगी।

28. यह कि निविदादाता द्वारा दुग्ध संघ के अनुबन्धित कार्यो को करवाये गये कार्मिकों का समस्त वैधानिक क्लेम की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। सन्दर्भित कार्य में निविदादाता द्वारा लगाये गये कार्मिकों का ई0पी0एफ0 मध्य नियोक्ता का अंशदान आदि का भुगतान दुग्ध संघ द्वारा निविदादाता को किया जायेगा। जिसे निविदादाता द्वारा अपने व्यय पर जमा कराना होगा ।

29. यह कि निविदादाता द्वारा नियमानुसार मानदेय पुस्तिका, पर्ची, भुगतान की गई मानदेय का रजिस्टर, मानदेय के लिए किये गये जुर्माने और कटौतियों का रजिस्टर आदि निविदादाता द्वारा नियमित रूप से रखें जायेगें, और प्रथम पक्ष के अधिकृत अधिकारी/प्रतिनिधि के द्वारा मांगे जाने पर उन्हें प्रस्तुत करना होगा।

30. यह कि निविदादाता को दुग्ध सहकारी संस्थाओं में (मैन पावर सप्लाई) कार्मिक उपलब्ध करवाने का कम से कम 02 वर्ष का अनुभव होना चाहिये। तद्‌नुसार अनुभव प्रमाण–पत्र की प्रतियां भी संलग्न करनी होगी।

31. **उत्तराखण्ड में रजिस्टर्ड निविदादाता एजेन्सी को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।**

32. **यह कि सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा उत्तराखण्ड के योग्य कार्मिकों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी, यदि सम्बन्धित पद की योग्यता वाले कार्मिक उत्तराखण्ड में नहीं मिलते हैं, उसी दशा में अन्य प्रदेशों के योग्य कार्मिकों को लिया जा सकता है।**

33. यह कि विगत तीन वर्षो की आयकर रिटर्न भी निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करानी अनिवार्य होगी। जिसमें विगत तीन वर्षो का वार्षिक टर्न ओवर 01 (एक) करोड़ से कम नहीं होना चाहिए, इससे कम टर्न ओवर होने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

34. यह कि निविदादाता द्वारा दुग्ध संघ के कारखाना अनुभाग एवं अवशीतन केन्द्रो हेतु उपलब्ध कराये गये कार्मिकों को एप्रिन, मास्क, गोल कैप तथा रबर बूट दुग्ध संघ द्वारा उपलब्ध कराये जायेगें।

35. यह कि निविदा हेतु निर्धारित अर्हता (तकनीकी/वित्त) पूर्ण न होने की स्थिति में निविदा स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

36. यह कि निविदादाता के कार्मिक संस्था में कार्य हेतु कार्मिक संस्था की कर्मचारियों की यूनियन का सदस्य नहीं होगा। निविदा स्वीकृत होने पर इस आशय का शपथ पत्र दुग्ध संघ को उपलब्ध करायेगा। निविदादाता के अन्तर्गत संस्था में कार्यरत श्रमिक यूनियन का सदस्य होने पर यह अनुबन्ध समाप्त किये जाने का पूर्ण अधिकार दुग्ध संघ को होगा।

37. यह कि निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त निविदादाता द्वारा जो कार्मिक संस्था में उपलब्ध कराये जायेगे, उनके नामों की सूची नाम, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, आवास, पत्राचार का पता, फोटोग्राफ तथा फर्म द्वारा अपने व्यय पर पहचान पत्र उपलब्ध कराना होगा।

38. यह कि निविदादाता द्वारा दुग्ध संघ को उपलब्ध कराये गये कार्मिकों को अनुबन्ध की अवधि में निर्धारित मानदेय को संस्था द्वारा नहीं बढायी गयी मजदूरी दरें या मंहगाई भत्ता के अतिरिक्त अन्य कोई भुगतान देय नहीं होगा ।

39. यह कि यू.सी.डी.एफ. की बेवसाईड www. ucdfaanchal.org से निविदा पत्र डाउन लोड करने पर **रू0 590.00** का बैंक ड्राफ्ट "**प्रबन्ध निदेशक,** यू.सी.डी.एफ. के नाम से संस्था के पक्ष में देय हो पृथक से संलग्न करना होगा, अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा ।

40. यह कि निविदादाता द्वारा कार्मिकों का निर्धारित ई.पी.एफ., ई.पी.एफ. कार्यालय में जमा करना होगा तथा प्रत्येक माह कार्मिकों के ई.पी.एफ. जमा की रसीद श्रमिकों को उपलब्ध करायी जायेगी। निविदादाता द्वारा बिल के साथ पिछले महीने की ई.पी.एफ. जमा रसीद के साथ फार्म नं० 3।/ई.सी.आर.की प्रति भी उपलब्ध करानी अनिवार्य होगी**,** ऐसा न करने की स्थिति में संस्था द्वारा अनुबन्ध को कभी भी समाप्त करने का अधिकार होगा।

41. निविदा प्रपत्र विक्रय, जमा, खोलने के सम्बंध में विस्तृत विवरण भी समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया है।

42. यदि कोई निविदादाता/फर्म प्रेषित निविदा दरो में शून्य शुल्क (निल चार्जेज) अंकित करता है तो वह निविदा स्वीकार नही की जायेगी।

43. यह कि निविदा निष्पादन के उपरान्त किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में विवाद का अन्तिम निर्णय निबंधक, दुग्ध सहकारी समितियॉ–उत्तराखण्ड़, हल्द्वानी(नैनीताल) का होगा, जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।

——— 0 ———

दुग्ध संघों में प्रस्तावित पदों पर आउटसोर्स भर्ती हेतु आवश्यक शैक्षिक योग्यता एवं कार्य अनुभव

क्र. सं.	पदनाम	शैक्षिक योग्यता		अन्य
		देय मानदेय प्रतिमाह रू0	शैक्षिक योग्यता एवं अन्य योग्यताऐं	
1	**पदनाम –सहायक डेरी पर्यवेक्षक**			
		35000.00	भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से भारतीय डेरी डिप्लोमा (डेरी टेक्नोलॉजी) या डेयरी इंजीनियरिगं में डिप्लोमा के साथ डेरी उद्योग में 02 (दो) वर्ष का कार्यानुभव अथवा बी0टैक0 डीटी अथवा बी0एस0सी0 (डेरी टेक्नोलॉजी) के साथ डेरी उद्योग में 01 (एक) वर्ष का कार्यानुभव।	आयु न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम 42 वर्ष
2	**पदनाम – माइक्रोबायोलोजिस्ट**			–तदैव–
		45000.00	भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से एम.एस.सी. माइक्रोबायोलोजी के साथ किसी भी प्रतिष्ठान में माइक्रोबायोलोजी का 3 वर्षो का कार्यानुभव / बी0एस0सी0 (डेरी टैक्नोलॉजी) के साथ सम्बन्धित कार्य का 01(एक)वर्ष का कार्यानुभव अथवा भारतीय डेरी डिप्लोमा (डेरी टैक्नोलॉजी)के साथ सम्बन्धित कार्य का 02(दो) वर्ष का कार्यानुभव ।	
3	**पदनाम – सहायक डेरी कैमिस्ट**			–तदैव–
		25000.00	विज्ञान स्नातक (रसायन विज्ञान) / भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से भारतीय डेरी डिप्लोमा के साथ डेरी उद्योग में गुण नियंत्रण अनुभाग में 02 (दो) वर्ष कार्यानुभव अथवा बी0एससी0 (डेरी टैक्नोलॉजी) / बी0टैक डेरी टैक्नोलॉजी के साथ किसी डेरी उद्योग में गुण नियंत्रण अनुभाग में एक वर्ष का कार्य अनुभव।	
4	**पदनाम – सहायक प्रबन्धक (उत्पादन)**			–तदैव–
		55000.00	बी0 टैक डेरी टैक्नोलॉजी के साथ–साथ डेरी उद्योग में कम से कम 05 वर्ष का कार्य अनुभव हो।	
5	**पदनाम – सहायक विक्रय पर्यवेक्षक**			
		26000.00	स्नातक उत्तीर्ण तथा एफएमसीजी एवं 3 वर्ष का विपणन कार्य का अनुभव। विपणन में एक वर्षीय डिप्लोमाधारी को वरीयता दी जाएगी।	–तदैव–
6	**पदनाम – सहायक क्षेत्र पर्यवेक्षक**			
		25000.00	चयन / नियुक्ति केवल दुग्ध समितियों के सचिवों में से होगी,न्यूनतम योग्यता हाईस्कूल एवं 05 वर्ष सचिव कार्य का अनुभव अनिवार्य। इण्टरमीडिएट या उससे अधिक शैक्षिक योग्यता रखने वाले / वाली सचिवों के लिए सचिव कार्य का 03 वर्ष का अनुभव अनिवार्य।	–तदैव–
7	**पदनाम – सहायक सेचिट मैके0 कम आपरेटर**			
		25000.00	इण्टरमिडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा आई0टी0आई0 (इलैक्ट्रोनिक / मैकेनिकल / इलैक्ट्रीकल) के साथ सम्बन्धित कार्य का 02 (दो) वर्ष का कार्य अनुभव या डिप्लोमा (इलैक्ट्रोनिक / मैकेनिकल / इलैक्ट्रीकल) के साथ सम्बन्धित कार्य का 01 (एक) वर्ष का कार्यअनुभव अथवा इण्टरमिडिएट परीक्षा उत्तीर्ण सम्बन्धित कार्य का 05 (पांच) वर्ष का कार्य अनुभव।	–तदैव–
8	**पदनाम – सहायक रैफ्रीजरेशन मैके0कम आप0**			

		25000.00	इण्टरमिडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा आई0टी0आई0 (रैफ्रीजरेशन) के साथ सम्बन्धित कार्य का 02 (दो) वर्ष का कार्य अनुभव या (रैफ्रीजरेशन) में डिप्लोमा के साथ सम्बन्धित कार्य का 01 वर्ष का कार्यअनुभव।	–तदैव–
9	**पदनाम – सहायक प्लान्ट आपरेटर**			
		25000.00	इण्टरमिडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा आई0टी0आई के साथ दुग्धशाला में सम्बन्धित कार्य का 02 वर्ष का कार्य अनुभव अथवा इण्टरमिडिएट परीक्षा उत्तीर्ण सम्बन्धित कार्य का 05 (पांच) वर्ष का कार्य अनुभव।	–तदैव–
10	**पदनाम – ब्वायलर अटैण्डेंट ग्रेड–1**			
		30000.00	आई.टी.आई./फीटर ट्रेड के साथ चीफ ब्वायलर इन्सपैक्टर द्वारा ए ग्रेड का ब्वायलर चलाने का लाईसेन्स के साथ डेरी उद्योग में ब्वायलर संचालन का 05 वर्ष का कार्य अनुभव।	–तदैव–
11	**पदनाम – ब्वायलर अटैण्डेंट ग्रेड–2**			
		25000.00	इण्टरमीडिएट आई.टी.आई./फीटर ट्रेड के साथ चीफ ब्वायलर इन्सपैक्टर द्वारा प्रदत्त "द्वितीय" श्रेणी का प्रमाण पत्र तथा कम से कम डेरी उद्योग में ब्वायलर संचालन का 05 वर्ष का कार्य अनुभव।	–तदैव–
12	**पदनाम – प्रभारी, पी0एण्डआई0**			
		30000.00	स्नातक उत्तीर्ण तथा दुग्ध उपार्जन कार्य में न्यूनतम 3 वर्ष का कार्य अनुभव।	–तदैव–
13	**पदनाम – अवर अभियन्ता(इन्स्टुमेन्टेशन)**			
		35000.00	इन्स्टुमेन्टेशन डिप्लोमा के साथ सम्बन्धित कार्य का 02 वर्ष का कार्यअनुभव।	–तदैव–
14	**पदनाम – प्रबन्धक**			
		75000.00	बी0टैक0 (डेरी टेक्नोलॉजी) अथवा बी0वी0एससी0 अथवा बी0एससी (कृषि विज्ञान) के साथ–साथ राजकीय, अर्द्धसरकारी/गैर–सरकारी/प्राइवेट डेरी में प्रबन्धकीय कार्यों का कम से कम 10 (दस) वर्षों का कार्यानुभव।	–तदैव–

UTTARAKHAND CO-OPERATIVE DAIRY FEDERATION Ltd.,
Mangal Parao, Haldwani, Nainital

Bank Details for Online submission of Tender Fees & EMD through RTGS/NEFT:

Name of account holder	Uttaranchal Co-operative Dairy Federation Ltd.
Name of Bank	Axis Bank
Branch	Talli Haldwani (UT)
Account Number	584010100013749
Type	Saving bank
IFSC code	UTIB0000584

Note : The bidders who have participated earlier in our tender Notice no. 27/UCDF/2022-23, Date-29.05.2022 for the mentioned tendered work and have deposited Tender fee and E.M.D. (still pending in UCDF), need not to deposit Tender fee & EMD again for the said work. You are requested to upload scan copy of the earlier deposited EMD in Technical bid.

निविदा प्रपत्र

विभिन्न श्रेणी के तकनीकी कार्मिक हेतु – (वित्तीय बिड)

कार्यालय उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फैडरेशन लि0, मंगल पड़ाव, हल्द्वानी (नैनीताल)

1. निविदादाता का नाम :–..
2. निविदादाता का पता :–..

   ....

   (अ) स्थाई पता :– ....

   (ब) पत्राचार का पता :–..

   ....

सर्विस चार्जेज की दरें (प्रतिशत में)

(अंकों में) –...

(शब्दो में) –...

दिनांक :–

स्थान :–

हस्ताक्षर निविदादाता :–

नाम :–

पिता का नाम :–

पूरा पता :–

फर्म का नाम :–

मो0 / फोन नं0 :–

<u>शुद्धिपत्र दिनांक 19.05.2022</u>

संस्था द्वारा निविदा सं0 3/दिनांक 11.05.2022 बावत् आउटसोर्स एजेन्सी के निर्धारण हेतु निविदा प्रपत्र में विभिन्न श्रेणी के तकनीकी कार्मिक हेतु – (वित्तीय बिड) में **सर्विस चार्जेज की दरें (प्रतिशत में) निम्नवत** अंकित की गयी हैं।

(अंकों में) –...

(शब्दो में) –...

उक्त में जी0एस0टी0 का भुगतान संस्था द्वारा चयनित ऐजेन्सी को देय होगा।

ह0/
प्रबन्ध निदेशक